न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 125/2022 दायर दिनाँक 19.04.2022

वादी		प्रतिवादी
1.मोहनराम उर्फ मोहनलाल पुत्र पेमाराम जाति जांगिड निवासी बरडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।	बनाम	1. तहसीलदार डीडवाना 2. सेटलमेंट अधिकारी सीकर।

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती,
अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.04.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की एकल खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 612 रका 5.6500 है. वाके शरहद बरडवा में अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बर 612 में सेटलमेंट अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के तथा मौके पर बिना किसी रास्ते के नजरी नक्शा में मार्क ए से बी भाग पर डोट डोट लाईन दर्शा दी। जिससे वादी के खेत के दो टुकडे हो जबकि नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी डोट डोट लाईने कभी भी दर्ज नहीं था तथा ना ही मौके पर अवस्थित हैं, ना ही वर्तमान में दर्ज है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 612 में डोट डोट लाईन गलत दर्ज करने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड गये हैं तथा वादी को भविष्य में अन्य कई प्रकार की समस्याओं की सामना करने की आशंका है। इसलिए राजस्व रेकर्ड से खसरा नम्बर 612 में से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए सी बी डोट हटाये जाने हेत दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है कि –

खसरा नम्बर 612 रकबा 5.6500 है. वाके शरहद बरडवा के नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी डोट डोट लाईन को हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। अन्य कोई उचित अनुतोष हो वादी के हित व लाभ का हो कि डिक्री भी वादी के पक्ष में जारी करने की कृपा करावें।

वाद का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से अधिवक्ता वादी किसी प्रकार रिलिफ नहीं चाहा है। इसका प्लीड आदेशिका दिनांक 23.04.2026 को किया है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट जरिये पत्रांक–रीडर/2022/06 दिनांक 03.01.2022 द्वारा प्राप्त हुई।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 612 रकबा 5.65 है. में नक्शे में दिखाये गये डोटेड रास्ते की जगह पर रास्ता चालू नहीं है तथा ना ही मौके पर रास्ता होने के कोई निशानात नजर आ रहे है। गत राजस्व नक्शे में इस खेत खसरा नम्बर में किसी प्रकार का डोटेड रास्ते का अंकन नहीं है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इस खसरा नम्बर 612 में से रास्ते का रकबा का अंकन नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि खसरा नम्बर 612 रकबा

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

5.65 है. मोहनराम उर्फ मोहनलाल पुत्र पेमाराम के खेत में से पूर्व में भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं था ना ही किसी का आवागमन रहा है तथा ना ही वर्तमान में किसी का आवागमन होकर रास्ते के उपयोग में आ रहा है। अतः उक्त डोटेड रास्ते को खसरा नम्बर 612 रकबा 5.6500 में नक्शे से हटाये जाने पर किसी आमजन को कोई समस्या नहीं होगी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम बरडवा के खेत खसरा संख्या 612 की भूमि में नजरी नक्शा अनुसार दर्शित मार्क ए सी बी डोटेड लाईन हटवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त डोटेड रास्ता की जगह पर रास्ता चालू नहीं है तथा ना ही मौके पर रास्ता होने के कोई निशानात नजर आ रहे है। गत राजस्व नक्शे में इस खेत खसरा नम्बर में किसी प्रकार का डोटेड रास्ते का अंकन नहीं है। डोटेड रास्ते को हटाये जाने से किसी आमजन को कोई समस्या नहीं होगी।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम बरडवा के खेत खसरा सख्या 612 रकबा 5.6500 है. भूमि में अंकित डोटेड लाईन को हटाया जाता है। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.04.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना